संख्या-108/2017/आर-1022(ए)/26-3-2017-02(सी.पी.एल.)/2011

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई 2017

विषयः-अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयनित छात्र श्री गुरूनाम सिंह पुत्र श्री रघुनाथ कर्दम, निवासी-जैत, मथुरा को कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स कोर्स हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-267/स.क./शिक्षा-अ/04/80/2017-18, दिनांक-20.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयनित छात्र श्री गुरूनाम सिंह पुत्र श्री रघुनाथ कर्दम, निवासी-जैत, मथुरा को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि रूपया-25,47,000/-(रूपया पच्चीस लाख सैतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 33 प्रतिशत धनराशि रूपया-8,49,000/- (रूपया आठ लाख उन्चास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निर्वतन पर रखी गयी हैं, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक-10.12.2015 में दिये गये निर्देशो के क्रम में सम्बन्धित छात्र को द्वितीय किश्त के रूप में 33 प्रतिशत की शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित छात्र द्वारा 50 घंटे का फ्लांइग प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही हैं।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-108/2017/आर-1022(ए)/26-3-2017-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. सम्बन्धित छात्र।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in